राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या — 919/2013/जोधपुर.
अपील संख्या — 920/2013/जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-'सी', जोधपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स खेमानी मेटल्स इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., ए-46, एम.आई.ए. द्वितीय फेज, बासनी, जोधपुर.

....प्रत्यर्थी.

<u>एकलपीठ</u>

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के.बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

......अपीलार्थी की ओर से.


श्री प्रकाश छाजेड, सी.ए.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/03/2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—'सी', जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर—प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 41 व 43 / CST/JUC/12-13 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 31.12.2012 के विरूद्ध केन्द्रीय विक्य कर अधिनियम,1956(जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत पेश की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थीगण की आलौच्य अविध वर्ष 2009—10 की क्रमशः प्रथम व तृतीय तिमाही के लिये पारित किये गये कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 29.03.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार




किया है। इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होनें से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण द्वारा जोधपुर में एस.एस. पाटा का निर्माण कर अन्तर्राज्जीय वाणिज्य व्यवहार में विक्रय किया जाता है। इन प्रकरणों में मुम्बई (महाराष्ट्र) की एक फर्म मैसर्स मरकरी एण्टप्राइजेज को किये गये विक्रय के समर्थन में प्राप्त 'सी' फॉर्म्स को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार करते हुए अन्तर्राज्जीय व्यवहार में रियायती कर दर 1/2 प्रतिशत के स्थान पर पूर्ण कर दर 4 प्रतिशत मानते हुए 3.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर आरोपित किया गया है तथा उससे सम्बन्धित अनुवर्ती ब्याज भी आरोपित किया गया है। उक्त सभी प्रकरण वर्ष 2009—10 की कालावधि से सम्बन्धित है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 'सी' फॉर्म अस्वीकृत करने का आधार यह बताया गया कि विभाग द्वारा 'सी' फॉर्म की प्रमाणिकता की जांच करवाये जाने पर बिक्री कर विभाग मुम्बई द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2076 दिनांक 27.6.2011 के जरिये यह सूचित किया जाना बताया है कि मैसर्स मरकरी एण्टरप्राइजेज तथा हाईटेक इम्पेक्श मुम्बई मुम्बई का पंजीयन भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 3.3.2009 एवं 21.11.2008 से रद्द कर दिया गया हैं तथा उनको जारी 'सी' फॉर्म भी निरस्त करने के आदेश क्रमशः 27.06.2011 एवं 31.01.2011 को कर दिये गये हैं। अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा निम्न तालिका अनुसार अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया गया :--

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	1		कर	ब्याज	कुल
919 / 13	41/CST/JUC/12-13	29.03.12	प्रथम तिमाही	1,87,703	50,680	2,38,382
920 / 13	43/CST/JUC/12-13	29.03.12	तृतीय तिमाही	1,25,477	33,879	1,59,356

कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने संयुक्तादेश दिनांक 31.12.2012 से व्यवहारीगण की अपीलें स्वीकार करते हुए आरोपित कर व ब्याज अपास्त किया गया है। इस संयुक्तादेश के विरूद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी

अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज को अपास्त कर विधिक भूल की है। उन्होंने इस तथ्य की ओर गौर नहीं किया कि प्रत्यर्थी ने झूठे



घोषणा पत्र प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत किये थे। ये घोषणा प्त्र उन फर्म द्वारा जारी किये गये थे, जिनका पंजीयन सक्षम अधिकारी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने विवादित संव्यवहारों की जांच कराये जाने पर क्रेता फर्म मैसर्स मरकरी एण्टरप्राइजेज का टिन नं0 27450698246c तथा हाईटेक इम्पेक्स का टिन नं. 273706828667सी को दिनांक 6.9.2010 एवं 24.8.2010 के आदेश द्वारा पंजीयन निरस्त कर दिये गया थे। इस आशय का गजट प्रकाशन भी किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत 'सी' फॉर्म से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 8(4) के तहत रियायती दर स्वीकार्य नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी ने कर व ब्याज उचित आरोपित किया था, लेकिन अपीलीय अधिकारी ने कर व ब्याज अपास्त कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलें स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को बहाल करने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों के सभी तथ्यों तथा विधिक न्यायिक निर्णयों के आलोक में आदेश पारित किया है, जिसमें कोई विधिक भूल नहीं है।

अग्रिम कथन किया कि यह निर्विवाद तथ्य है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा महाराष्ट्र की मैसार्स मरकरी एण्टरप्राइजेज तथा हाईटेक इम्पेक्श मुम्बई मुम्बई को माल विक्रय किया गया है। महाराष्ट्र बिक्री कर विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मैसार्स मैसार्स मरकरी एण्टरप्राइजेज तथा हाईटेक इम्पेक्श मुम्बई मुम्बई क्रेता का पंजीयन दिनांक 3.3. 2009 एव 21.11.2008 से निरस्त कर किये गये हैं। यह भी स्वीकार किया कि विवादास्पद 'सी' फॉर्म भी उसी क्रेता को विभाग द्वारा जारी किये गये थे। महाराष्ट्र बिक्री कर विभाग से सूचना के अधिकार के तहत जिसमें क्रेता मैसार्स मरकरी एण्टरप्राइजेज तथा हाईटेक इम्पेक्श मुम्बई मुम्बई मैसार्स मरकरी एण्टरप्राइजेज तथा हाईटेक इम्पेक्श मुम्बई को जारी 'सी' फॉर्म अधिसूचना संख्या JCST/Reg/ 2011-12/Can of C form/B-1592 की छाया प्रति प्रस्तुत कर कथन किया कि इस अधिसूचना द्वारा विभाग ने क्रेता का पंजीयन निरस्त करने की सूचना दिनांक 27.06.2011 को जारी की गई है। इस क्रेता को विभाग द्वारा जारी 'सी' फॉर्मों को निरस्त करते हुए 'सी' फॉर्म अविधिक घोषित कर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(4) के उद्देश्य से निरस्त किये गये हैं, जबिक संव्यवहार वर्ष 2009—10 से ही पूर्ण हो चुके थे तथा घोषणा पत्र भी प्राप्त हो चुके थे। इसके पश्चात निरस्तीकरण के प्रकाशन की स्थिति में



पूर्व में स्वीकार किये गये 'सी' फॉर्मों से रियायती दर अस्वीकार नहीं की जा सकती। तर्क के समर्थन में (1981) 48 एस.टी.सी. 207 सुरेश ट्रेडिंग कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा;(1998) 109 एस.टी.सी.४39 स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा बनाम सुरेश ट्रेडिंग कम्पनी बनाम , मद्रास राज्य बनाम रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटैड (1966) एस.सी. 234; पोलेस्टर इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि. अतिरिक्त आयुक्त, सेल्स टैक्स (1978) 3 एस.सी.आर. 98; (2011) 38 वी.एस.टी. 388 (कर्नाटक) के न्यायिक दृष्टान्तों के उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा विवादित अपीलाधीन के आदेश विरुद्ध की गई अपील संख्या 1703 से 1705/2012/जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2013 को उद्धृत करते हुए बताया कि उक्त अपीलें निर्णय दिनांक 2013 से आच्छादित है। उन्होने उक्त कथन एवं न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर दोनों अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, विधिक न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त अपीलों में एवं कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1703 से 1705 / 2012 / जोधपुर, मैसर्स मेहता मेटल्स इण्डस्ट्रीज,बासनी,जोधपुर, मैसर्स श्री सिद्धि विनाय इण्डस्ट्रीज,बासनी जोधपुर एवं चंचल इण्डस्ट्रीज,बासनी,जोधपुर के सम्बन्ध में में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2013 के तथ्य एक समान है, जिसमें कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निम्न प्रकार से मत प्रतिपादित किया है :-

" पत्रावलियों से स्पष्ट होता है कि सभी व्यवहारियों को वेट अधिनियम की धारा 17(2) के तहत अधिशेष आई.टी.सी. का प्रत्यर्पण जारी किये गये थे तथा उनके संव्यवहारों से सम्बन्धित प्रस्तुत 'सी' फॉर्मों की महाराष्ट्र बिक्री कर विभाग से जांच कराये जाने पर उनके पत्र क्रमांक 2076 दिनांक 29.9.2010 से यह सूचित किया गया कि इस क्रेता मैसर्स एच.जी.मैटल्स प्रा० लि० का पंजीयन भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 1. 4.2006 से ही दिनांक 5.2.2010 को निरस्त कर दिया गया था, इसलिए अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी ने विवादित संव्यवहारों को वैध 'सी' फॉर्मों से समर्थित नहीं मानते हुए अन्तर कर @ 3.5% से आरोपित किया तथा रिफण्ड जारी तिथि से ब्याज भी उक्त तालिका अनुसार आरोपित किया गया।

अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारीगण द्वारा अपील स्तर पर प्रस्तुत विधिक निर्णयों तथा महाराष्ट्र बिक्री कर विभाग की प्रकाशन अधिसूचना दिनांक आधार पर विक्रेताओं की अस्वीकृत रियायती दर को अविधिक ठहराते हुए अपीलें स्वीकार की हैं।

प्रकरणों में यह निर्विवाद तथ्य है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा विवादित विक्रय वर्ष 2008—09 में किये गये हैं तथा विक्रय संव्यवहार सद्भावी है तथा क्रेता भी वरवक्त संव्यवहार पंजीकृत था। यह तथ्य भी निर्विवाद रूप से सामने आया है कि प्रश्नगत विवादित 'सी' फॉर्म सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किये गये थे तथा विक्रेताओं को क्रेता द्वारा ही प्रश्नगत विक्रय संव्यवहारों के समर्थन में जारी किये गये थे। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि विवादित 'सी' फॉर्मों का निरस्तीकरण व पंजीयन निरस्तीकरण विभाग ने अधिसूचना दिनांक 22.12.2010 से ही प्रकाशित किया है। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एस.टी.आर. नं0 35/1979 आयुक्त, बिक्री कर नई दिल्ली बनाम हरीराम ऑयल कम्पनी में निर्णय दिनांक 12.2.1992 में मत प्रतिपादित किया है कि :—

"It appears to us that the intention of the Legislature in promulgating rule 12 clearly was that the factum of cancellation of registration must be made known to the whole world. It is only for this reason that the rule requires publication about the cancellation in the official gazette. Such publication is always regarded as information to the world at large. Once the factum about the cancellation of the registration is published thereafter no dealer can plead that it was ignorant about the cancellation having been effected. It is no doubt true that the purchasing dealers may have been aware that their registration certificates had been cancelled and they may have wrongly issued the declarations but as far as the selling dealer is concerned if he obtains a declaration certificate and it is not known to him that the registration certificate of the purchaser had been cancelled and that cancellation is not notified in the official gazette then the selling dealer is entitled to the benefit under the Act. He cannot be penalised for the inaction of the department in non-publication or late publication in the official gazette. The selling dealer, in the present case, has acted in good faith and as far as he is concerned he had obtained valid declaration certificates at the time of making the sales. The Tribunal was, therefore, right in coming to the conclusion that the benefit claimed by the dealer could not be denied to him."

इस निर्णय में माननीय न्यायालय प्रकाशन तिथि को आधार मानकर तब तक के संव्यवहारों के लिये विक्रेता व्यवहारियों का दायित्व अस्वीकार किया है तथा रिययती दर का हकदार माना है।

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त एस.बी.सेल्स टैक्स रिविजन पिटिशन नं0 286/2005/4, 5, 16 व 29/2007 में पारित निर्णय दिनांक



4.10.2007 में माननीय शीर्ष न्यायालय के स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिकल लि0 (1966) 18 एस.टी.सी. 222 के मत को उद्धरित किया है :--

"The Act seeks to impose tax on transactions, amongst others, of sale and purchase in inter-State trade and commerce. Though the tax under the Act is levied primarily from the seller, the burden is ultimately passed on to the consumers of goods because it enters into the price paid by them. Parliament with a view to reduce the burden on the consumer arising out of multiple taxation has provided in respect of sale of declared goods which have special importance in inter-State trade or intermediate stage in the stream of trade or commerce, prescribed low rates of taxation, when transactions take place in the course of inter-State trade or commerce. Indisputably the seller can have in these transactions no control over the purchaser. He has to rely upon the representations made to him. He must satisfy himself that the purchaser is a registered dealer, and the goods purchased are specified in his certificate: but his duty extends further. If he is satisfied on these two matters, on a representation made to him in the manner prescribed by the rules and the representation is recorded in the certificate in Form "C" the selling dealer is under no further obligation to see to the application of the goods for the purpose for which it was represented that the goods were intended to be used. If the purchasing dealer misapplies the goods he incurs a penalty under section 10. That penalty is incurred by the purchasing dealer and cannot be visited upon the selling dealer. The selling dealer is under the Act authorised to collect from the purchasing dealer the amount payable by him as tax on the transaction, and can collect that amount only in the light of the declaration mentioned in the certificate in Form "C". He cannot hold an enquiry whether the notified authority who issued the certificate of registration acted property or ascertain whether the purchaser, notwithstanding the declaration, was likely to use the goods for a purpose other than the purpose mentioned in the certificate in Form "C". The Act is noting in the for or rules that or infraction of the law committed by the purchasing dealer by misapplication of the goods after he purchased them or for any fraudulent misrepresentation by him, penalty may be visited upon the

selling dealer."

इस विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी 109 एस.टी.सी. 439 में स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है कि —

लगातार.....7

"In our view, the High Court was right. A purchasing dealer is entitled by law to rely upon the certificate of registration of the selling dealer and to act upon it. Whatever may be the effect of a retrospective cancellation upon the selling dealer, it can have no effect upon any person who has acted upon the strength of a registration certificate when the registration was current. the argument on behalf of the department that it was the duty of persons dealing with registered dealers to find out where a state of facts exists which could justified the cancellation of registration must be rejected. To accept it would be to nullify the provisions of the statute which entitle persons dealing with registered dealers to act upon the strength of registration certificates."

इन निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों व प्रकरणों के तथ्यों के मद्देनजर अपीलीय अधिकारी ने विक्रेता व्यवहारियों को रियायती दर अस्वीकार सम्बन्धी अपीलों को स्वीकार कर कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी में हस्तक्षेप का कोई विधिक आधार नहीं है"

कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1703 से 1705/2012 इण्डस्ट्रीज, बासनी,जोधपुर, मैसर्स सिद्धि मैसर्स मेहता मेटल्स इण्डस्ट्रीज,बासनी जोधपुर एवं चंचल इण्डस्ट्रीज,बासनी,जोधपुर के सम्बन्ध में एकलपीठ द्वारा दिनांक 28.10.2013 को पारित किये गये निर्णय के तथ्य एवं हस्तगत अपीलों के तथ्यों से मेल खाने से विवादित अपीलें निर्णय कर बोर्ड के दिनांक 28.10.2013 से आच्छादित है, इसलिए पुंनः उन्हीं तथ्यों कें आधार पर भिन्न निष्कर्ष दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणामस्वरूप यह पीठ अनुभव करती है कि उपरोक्त उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों व प्रकरणों के तथ्यों के मद्देनजर अपीलीय अधिकारी ने विक्रेता व्यवहारियों को रियायती दर अस्वीकार सम्बन्धी अपीलों को स्वीकार कर कोई विधिक भूल नहीं की है। फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)

सदस्य